न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 09/2024
Gcms reg. No. 2024/36

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी कटारा निवासी ककई, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक 30–05–2024

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी कटारा निवासी ककई, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 14/2021 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना दानपुर में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा से दिनांक 02–05–2023 को जरिये प्रकरण संख्या 324/2021 से दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष की अवधि के लिए रुपया 20000 का स्वयं का बंध पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति। उक्त अवधि के दौरान शांति व सदाचार बनाये रखने एवं अभियुक्त अभियोजन व्यय के रुप में 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 60/2018 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना दानपुर में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग बांसवाडा से दिनांक 12–06–2019 से सजायाब हुआ है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इस प्रकार गैरसायल श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी कटारा निवासी ककई, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाडा (राज.) जो अवैध शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत पर कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर 2 प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09.04.2024 को अभियुक्त ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित अपराध को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाने निवेदन किया । अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत बहस में कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरूद्ध अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर 2 प्रकरणो में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नही है। गैर सायल स्वयं द्वारा भी प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य एवं स्वीकरोक्ति से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है। प्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री लक्ष्मण पिता श्री कमजी कटारा निवासी ककई, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाडा (राज.) को सम्पूर्ण जिला क्षेत्र बॉसवाडा से 40 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त अवधि में जिला बांसवाडा में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैर सायल जिस क्षेत्र में निवास करे, उस क्षेत्र के थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

आदेश आज दिनांक से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिषेक गोयल)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)